भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 164164

NOTARY R.K. VERMA Lko Hd. Office 31(52) 2000 GOVT. OF INDIA

(प्रारूप—अ)

हम शादाब अब्बास नकवी अध्यक्ष एवं मासूम सैयदा मैनेजर, मोहम्मद अली नजीर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी, विकास नगर लखनऊ (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करता हूँ कि:—

1. यह कि हमारे सोसायटी द्वारा मोहम्मद अली नजीर फातिमा फार्मेसी कालेज, मुसलमाना बाद गौरी खालसा हरदोई नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023—24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे सोसायटी के नाम मोहम्मद अली नजीर फातिमा फार्मेसी कालेज, मुसलमाना बाद गौरी खालसा हरदोई में गाटा सं0 634 एवं 636 कुल रकबा 2.81 एकड भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 634 एवं 636 कुल रकबा 2.81 एकड पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 1 जून 2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही उपरोक्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

IDENTIFICATION & VERIFIED BEFORE ME R.K. VERMA ADVOCATE & NOTARY Regd. No. 31(52) 2000 Lucknow (U.P.)

Mohd. Ali Nazeer Sayyada Educational Society

Scanned with OKEN Scanner

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनो पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन भविष्य में न ही किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एंव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एंव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एंव सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एंव मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊंगा।

NOTARY
R.K. VERMA
Lko Hd. Office
31/(52) 2000
GOVT. OF INDIA

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
R.K. VERMA
ADVOCATE & NOTARY
Reg. No. 31(52) 2000
Lucknow (U.P.)

ह0 अध्यक्ष
Mohd Ali Nazeer Sayyada
Educational Society

ह0 मैनेजर
Mohd Ali Nazeer Sayyada
Educational Society

Scanned with OKEN Scanner